यूको बैंक UCO BANK

सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

HO/Finance/Share/2775/2017-18

Date : 20.02.2018

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
"Exchange Plaza"
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

The Manager
Bombay Stock Exchange Ltd.,
Floor 25
Pheroj Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai – 400 001

Sir/Madam,

SUB: Notice of e-voting

Further to our intimation dated 19th February, 2018 and pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015 and other applicable provisions, we submit herewith copies of newspaper publications along with postal ballot form for passing special resolution by way of postal ballot in respect of business as mentioned in the Notice. The schedule of events for postal ballot is as under :-

Cut off date (For dispatching and voting through ballot/e-voting)	16th February, 2018
Completion of dispatch of postal ballot notice and postal ballot form	19th February, 2018
Voting through Postal Ballot/e-voting starts on	20th February, 2018 (9 a.m. IST)
Voting through postal ballot/e-voting ends on	21st March, 2018 (5 p.m. IST)
Declaration of results	On or before 22nd March, 2018

The result of postal ballot will be announced at Head Office of the Bank and the same will be intimated to the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed and will be displayed on the website of UCO Bank: www.ucobank.com

Yours faithfully,

(N Purna Chandra Rao)
Company Secretary

Enclo: As above

UCO Bank, Finance Department, Head Office, 3rd Floor, 02, India Exchange Place, Kolkata – 700 001
Phone:: 44557227, 44557221 Fax: 033 22485625 E-mail: hosgr.calcutta@ucobank.co.in

FINANCIAL EXPRESS

TUESDAY, FEBRUARY 20, 2018

यूको बैंक UCO BANK

(A Govt. of India Undertaking)

Head Office: 10, B.T.M. Sarani, Kolkata – 700 001

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Shareholders are hereby informed that Bank is seeking shareholders' consent as set out in the Postal Ballot Notice dated February 12, 2018 for issue of such number of equity shares to Government of India on preferential basis, in accordance with SEBI ICDR Regulations 2009, against capital contribution aggregating to Rs. 6507 Crore which includes Rs.1375 Crore received on 29.12.2017 and remaining capital infusion of Rs. 5132 Crore to be received from Government of India during the current financial year 2017-18.

The postal ballot notice dated 12th February, 2018 along with Postal Ballot Form has been dispatched/emailed to the Shareholders of the Bank at their respective addresses/e-mail addresses registered with the Depositories/ Registrars and the same are made available on the Bank's website www.ucobank.com and Karvy Computershare Pvt. Ltd.'s (KCPL) website https://evoting.karvy.com.

In accordance with the Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended, option to transact item of Business given in the Postal Ballot Notice dated 12th February, 2018 through electronic voting system has been extended to the shareholders. Only the shareholders, whose names appear in the Register of Members or Beneficial Owners of shares as on the Cut-off date of 16th February, 2018 will be entitled vote through postal ballot or through remote e-voting.

The remote e-voting commences from 9 a.m. on 20th February, 2018 and ends at 5 p.m. on 21st March, 2018. The e-voting facility shall be blocked forthwith on 21st March, 2018 at 5.00 P.M.

The dispatch of Postal Ballot Notices has been completed on 19th February, 2018. The shareholders can also download Postal Ballot Notice from the Bank's website www.ucobank.com and KCPL's website https://evoting.karvy.com. The [illegible] Karvy Computershare Pvt. Ltd., for obtaining duplicate Post[illegible] d in postal ballot forms shall reach the scrutinizer C/o. Kar[illegible] Computershare Pvt. Ltd., Unit: UCO Bank, Karvy Selenium Tower [illegible]

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK

(A Govt. of India Undertaking)

হেড অফিস: ১০, বি টি এম সরণি, কলকাতা– ৭০০০০১

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

শেয়ারহোল্ডারগণকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, সেবি আই সি ডি আর রেগুলেশনস ২০০৯ মোতাবেক টা: ৬৫০৭ কোটি পরিমাণের মূলধন যার মধ্যে ২৯.১২.২০১৭ তে টা: ১৩৭৫ কোটি প্রাপ্ত হয়েছে এবং বাকি টা: ৫১৩২ কোটি চলতি অর্থবর্ষ ২০১৭–১৮'র মধ্যে ভারত সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যাবে তার বিনিময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভারত সরকারকে এরূপ সংখ্যক ইকুইটি শেয়ার ইস্যুর জন্য ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিসে বিবৃত মাফিক শেয়ার হোল্ডারদের সম্মতি চাইছে ব্যাঙ্ক। পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সহ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিস ডিপোজিটারিজ/রেজিস্টারে নথিভুক্ত সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ঠিকানা/ই–মেল ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে এবং তা ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট www.ucobank.com এবং কার্ভি কম্পিউটারশেয়ার প্রাঃ লিঃ (কে সি পি এল) ওয়েবসাইট https://evoting.karvy.com–এ পাওয়া যাবে।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪–র রুল ২০ এবং রুল ২২, যেমন সংশোধিত অনুযায়ী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিসে উল্লিখিত কার্যাবলীর লক্ষ্য বিনিময়ের পছন্দের জন্য শেয়ারহোল্ডার বৈদ্যুতিন ভোটিং ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে। নির্ণায়ক তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮–তে সদস্যদের বা শেয়ারের সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে নাম থাকা শেয়ারহোল্ডারগণই পোস্টাল ব্যালট বা রিমোট ই–ভোটিং মারফত ভোট দিতে পারবেন।

রিমোট ই– ভোটিং ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সকাল ৯টায় শুরু হবে ও শেষ হবে ২১ মার্চ ২০১৮ বিকেল ৫টায়। পোস্টাল ব্যালট নোটিস পাঠানোর কাজ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮–তে শেষ হয়েছে। শেয়ারহোল্ডারগণ ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট www.ucobank.com এবং কে সি পি এল–এর ওয়েবসাইট https://evoting.karvy.com থেকে পোস্টাল ব্যালট নোটিস ডাউনলোড করতে পারেন ডুপ্লিকেট পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পেতে শেয়ারহোল্ডারগণ লিখতে পারেন ব্যাঙ্ককে বা আরটিএ, কার্ভি কম্পিউটারশেয়ার প্রাঃ লিঃ কে।

পূরণ করা পোস্টাল ব্যালট ফর্ম স্ক্রুটিনাইজার–এর কাছে পৌঁছাতে হবে: প্রযত্নে কার্ভি কম্পিউটারশেয়ার প্রাঃ লিঃ. ইউনিট: ইউকো ব্যাঙ্ক, কার্ভি সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট ৩১–৩২, গাচ্চিবাওলি, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানাক্রমগুডা, হায়দরাবাদ–৫০০০৩২–এ ২১ মার্চ ২০১৮ বিকেল ৫টার মধ্যে। এই তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালট ফর্ম বৈধ হবে না। পোস্টাল ব্যালট সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট সংক্রান্ত অভিযোগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শ্রী এস ভি রাজু, ডি জি এম, কার্ভি কম্পিউটারশেয়ার প্রাঃ লিঃ, কার্ভি সেলেনিয়াম টাওয়ার বি প্লট নং ৩১–৩২, গাচ্চিবাওলি, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানাক্রমগুডা, হায়দরাবাদ– ৫০০০৩২ (ফোন নং ০৪০–৬৭১৬২২২২, ফ্যাক্স– ০৪০–২৩৪২০৮১৪ এবং ইমেল raju.sv@karvy.com

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय: 10, वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता-700001
फोन (033) 44557227, ई-मेल: hosgr.calcutta@ucobank.co.in, वेबसाइट: www.ucobank.com

पोस्टल बैलट सूचना

प्रिय शेयरधारक (गण),

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि यह सूचना अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को 10/- (रूपये दस मात्र) के अंकित मूल्य पर ईक्विटी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आवंटन हेतु पोस्टल बैलट के माध्यम से निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करने हेतु यूको बैंक (बैंक) के शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने हेतु जारी की गई है।

प्रस्तावित विशेष संकल्प एवं व्याख्यत्मक विवरण, भौतिक तथ्यों और इसके कारणों को बताते हुए अनुबंध के रूप में शामिल किया गया है।

बैंक ने निष्पक्ष एवं पारदर्शिता को बनाए रखते हेतु पोस्टल बैलट प्रक्रिया के संचालन के लिए संविक्षक के रूप में कंपनि सचिव एस.एन.अनंतसुब्रह्मनियम एण्ड कं. के सुश्री मालती कुमार (सी.पी.नं. 10890) या इनकी अनुपस्थिति में श्री अश्विनी वर्तक (सी.पी.नं. 16723) को नियुक्त किया है।

बैंक कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं नियम 22 के अनुसरण में पोस्टल बैलट लागू किया है। उक्त नियम के अनुसार बैंक सहर्ष अपने सदस्यों को इलाक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान करने हेतु इलाक्ट्रॉनिक मतदान सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है।

बैंक अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कर्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेट ('कर्वी') को नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत विवरण इस नोटिस के नोट में दिया गया है।

संविक्षक पोस्टल बैलट प्रक्रिया के समापन की तारीख से दो दिन से अनधिक समय के अंतर्गत प्रत्यक्ष पोस्टल बैलट पेपर / ई-वोटिंग की संविक्षा की समाप्ति के बाद अध्यक्ष या निदेशक मंडल द्वारा यथाप्राधिकृत बैंक के निदेशक / अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

पोस्टल बैलट का परिणाम बैंक के प्रधान कार्यालय में दिनांक 22.03.2018 को घोषित किया जाएगा। संविक्षक की रिपोर्ट साथ ही पोस्टल बैलट के परिणाम की सूचना बीएसई लिमिटेड एवं नेश्नल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को दी जाएगी और इसे बैंक के कार्पोरेट / प्रधान कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा तथा बैंक के वेबसाइट www.ucobank.com एवं कर्वी के वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर अपलोड किया जएगा।

यदि अपेक्षित बहुमत द्वारा कोई संकल्प पारित किया जाता है तो दिनांक 21.03.2018 को इसे पारित किया हुआ माना जाएगा यानी वह तारीख परिपूर्ण पोस्टल बैलट फार्म की प्राप्ति के लिए या ई-वोटिंग के लिए बैंक द्वारा निर्धारित अंतिम तरीख होगा।

शेयरधारकों से निम्नलिखत संकल्प पर विचार करने और यदि इसे ठीक समझा जाता है तो उक्त संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु अनुरोध किया जाता है :

यह संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेवी), और / या इस बारे में अन्य कोई प्राधिकरण जिसकी आवश्यकता हो, के अनुमोदनों, अनुमतियों और मंजूरियों, यदि कोई हो, के अधीन तथा ऐसे नियमों, शर्तों एवं संशोधनों के अधीन जो कि उनके द्वारा ऐसे अनुमोदनों को मंजूरी देते समय निर्दिष्ट किए जाएं, जिनपर निदेशक मंडल की सहमति हो तथा सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2009 (सेवी आईसीडीआर विनियमन) और भारतीय रिजर्व बैंक एवं सभी अन्य संबंधित प्रधिकरणों द्वारा समय – समय पर विहित विनियमों के अधीन, बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचिकृत करनेवाले स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण समझौतों के अधीन निम्नलिखित ईक्विटी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आवंटन करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद 'मंडल' कहा जाएगा) को इसके माध्यम से दी जाती है:

क) भारत सरकार को अधिमानी आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियमन 76 (1) के अनुसरण में निर्गम मूल्य के निर्धारण के अधीन 10/- (रुपये दस मात्र) के अंकित मूल्य पर कुल 1,375 करोड़ मात्र के इक्विटी शेयर एवं

यूको बैंक UCO BANK

Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

Phone (033) 44557227, E-mail: hosgr.calcutta@ucobank.co.in, Website: www.ucobank.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Shareholders (s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN for seeking consent of Shareholders of UCO Bank ('the Bank') to pass the following Special Resolution by way of Postal Ballot to create, offer, issue and allot such number of equity shares of face value of 10/- each (Rupees Ten only) to Government of India on preferential basis.

The proposed Special Resolutions and Explanatory Statement, stating the material facts and reasons thereof are annexed hereto.

The Bank has appointed Ms. Malati Kumar (C.P. No. 10890) or failing her Ms. Ashwini Vartak (C.P. No.16723), of S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

The Bank is conducting this Postal Ballot in accordance with Rule 20 and Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended. In line with said Rules, the Bank is also pleased to provide electronic voting facility to enable the members to cast their votes electronically.

The Bank has engaged Karvy Computershare Private Limited ('Karvy') to provide remote e-Voting facility to its members. Detailed instructions regarding remote e-Voting are given in notes to this notice.

The Scrutinizer will submit the report to the Managing Director and Chief Executive Officer or any other Director/ Officer of the Bank as authorized by the Board of Directors after completion of scrutiny of physical Postal Ballot papers/ e-Voting but not later than two days from the date of conclusion of Postal Ballot process.

The result of Postal Ballot will be announced on 22.03.2018 at the Head office of the Bank. The result of Postal Ballot along with Scrutinizer's Report shall be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and shall also be hosted on the Bank's website at www.ucobank.com and also on the website of Karvy at https://evoting.karvy.com

The resolution, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on 21.03.2018 i.e. the last date specified by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot forms or e-Voting.

Shareholders are requested to consider the following and, if deemed fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board") to create, offer, issue and allot

a) such number of equity shares of face value of 10/- each (Rupees Ten only) to Government of India on preferential basis for cash at an issue price to be determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations 2009, aggregating to 1,375 crore; and

ख) भारत सरकार को अधिमानी आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियमन 76 (1) के अनुसरण में निर्गम मूल्य के निर्धारण के अधीन 10/- (रुपये दस मात्र) के अंकित मूल्य पर कुल 5,132 करोड़ मात्र के इक्विटी शेयर,

जिसमें प्रिमियम सहित दोनों को शामिल करते हुए कुल 6,507 करोड़ (रुपया छह हजार पांच सौ सात) मात्र के इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे।

यह भी संकल्प किया जाता है कि अधिमान्य इश्यू के लिए संगत तारीख 19.02.2018 है।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि प्रस्ताव में ऐसे किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्तियां मंडल में निहित होंगी जिसे भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंज, जिनमें बैंक के शेयर सूचीकृत हैं, या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपने निर्गमन, आबंटन एवं उनके सूचीकरण हेतु अपने अनुमोदन, सम्मति, अनुमति एवं संस्वीकृति देते / प्रदान करते समय आवश्यक समझा जाए और जिसमें मंडल की सहमति हो।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गमित होनेवाले उक्त ईक्विटी शेयर, बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों की समतुल्य श्रेणी के होंगे और लाभांश घोषित करने के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित लाभांश के हकदार होंगे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए इसके द्वारा मंडल को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी कार्रवाईयों, कृत्यों, मामलों और बातों को क्रियान्वित करे जिन्हें वह अपने विवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनिय समझे, ईक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या शंका का निपटारा करे और ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप दे और कार्यान्वित करे, जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो, विवेकानुसार उपयुक्त, उचित या वांछनीय प्रतीत हो, जिसके लिए शेयरधारकों की सम्मति या अनुमोदन प्राप्त करने की आगे कोई भी आवश्यकता न पड़े, अथवा इस उद्येश्य या प्रयोजन से प्रधिकृत किया जाता है कि शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के प्राधिकार से, व्यक्त रूप से इस पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया जाना मान लिया गया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल द्वारा स्वयं को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशकों में से किसी को, अथवा ऐसे किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिसे वह उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त मानता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से,
कृते यूको बैंक

हस्ता/-

(आर.के. टक्कर)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 12.02.2018

b) such number of equity shares of face value of 10/- each (Rupees Ten only) to Government of India on preferential basis for cash at an issue price to be determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations 2009, aggregating to 5,132 crore

together aggregating to 6,507 crore only (Rupees Six thousand Five hundred and Seven crore only), inclusive of premium.

RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for the aforesaid Preferential Issue/s is 19.02.2018.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *paripassu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or any of the Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By Order of the Board of Directors,
For UCO Bank

sd/-

(R.K. Takkar)
Managing Director & Chief Executive Officer

Place : Kolkata
Date : 12.02.2018

नोट :

- यह नोटिस वैसे सभी शेयरधारकों को भेजी जा रही है जिनके नाम नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से प्राप्त शेयरधारक रजिस्टर / हिताधिकारी मालिकों की दिनांक 16.02.2018 (निर्दिष्ट तारीख) की सूची में दिए गए हैं। निर्धारित तारीख को जो व्यक्ति शेयरधारक नहीं है, वह यह समझे कि यह नोटिस सूचना के प्रयोजन से दिया गया है।
- सेबी (एलओडीआर) विनियम के अनुसार जिन शेयरधारकों ने दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रीति से प्राप्त करने हेतु अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत किए हैं, उन्हें पोस्टल बैलट की सूचना ई-मेल से तथा अन्य को पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ डाक/कूरियर से सूचना भेजी जा रही है।
- प्रत्यक्ष पोस्टल बैलट द्वारा मतदान करने को इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संलग्न पोस्टल बैलट फॉर्म पर मुद्रित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। विधिवत पूरे किए गए पोस्टल बैलट फॉर्म दिनांक 21.03.2018 को अपराह्न 5 बजे के पूर्व संवीक्षक के पास पहुँच जाने चाहिए। उक्त तारीख और समय के बाद प्राप्त होनेवाले किसी पोस्टल बैलट फॉर्म के बारे में यह माना जाएगा कि शेयरधारक के पास से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
- जिन शेयरधारकों ने ई-मेल के माध्यम से पोस्टल बैलट नोटिस प्राप्त की है और प्रत्यक्ष पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं, वे पोस्टल बैलट फॉर्म बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसके लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31-32, गचीबावली फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद-500 032 (टेलीफोन सं. 040-67162222, टोल फ्री सं. 1800-345-400, फैक्स सं. 040-23420814, ई-मेल: einward.ris@karvy.com को या कंपनी सचिव, यूको बैंक, वित्त विभाग, प्रधानकार्यालय, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता-700 001 को लिख सकते हैं।
- शेयरधारक मतदान के लिए केवल एक विधि का विकल्प दे सकता है अर्थात, प्रत्यक्ष बैलट अथवा रिमोट ई-वोटिंग। यदि शेयरधारक दोनों विधियों द्वारा अपना वोट देते हैं तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा दिया गया वोट मान्य होगा तथा प्रत्यक्ष पोस्टल बैलट द्वारा दिया कया वोट अमान्य माना जाएगा।
- रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं रीति निम्नानुसार होगी :

(क) रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में बैंक के वैसे शेयरधारकों के लिए अनुदेश जिनका डिमैट खाता/फोलियो नं. कार्वी की ई-वोटिंग सर्विसेज के लिए पंजीकृत नहीं किया गया है और जिनके पास अपना विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है।

i. ई-मेल खोलें और पासवर्ड के रूप में अपने क्लायंट आईडी या फोलियो नं. से पीडीएफ फाइल अर्थात 'यूकोबैंक ई-वोटिंग पीडीएफ खोलें। उक्त पीडीएफ फाइल में ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है।

ii. यूआरएल : https://evoting.karvy.com टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर शुरु करें।

iii. शेयरहोल्डर "लॉगइन" पर क्लिक करें।

iv. उपर्युक्त स्टेप (i) में नोट किया गया अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में लिखें। फिर से क्लिक करें।

v. पासवर्ड चेंज मेनू दिखाई पड़ेगा। पासवर्ड को अपने मनचाहे पासवर्ड से बदलें जिसमें न्यूनतम 8 अंक/कैरेकटर या दोनों का मिश्रण हो। कृपया इस नए पासवर्ड को नोट कर लें। इस बात की जोरदार सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को न बताएँ और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें।

vi. "ई-वोटिंग" का होम पेज खुलेगा। "ई-वोटिंग" पर क्लिक करें। वोटिंग साइकिल को सक्रिय करें।

vii. यूको बैंक के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इवेंट नम्बर (EVEN) का चयन करें।

viii. "मतदान करे" ('Cast Vote') पृष्ठ खुलेगा। अब आप "ई-वोटिंग" कर सकते हैं। मतदान (वोटिंग) दिनांक 20.02.2018 को पूर्वाह्न 9 बजे से शुरु होकर दिनांक 21.03.2018 को अपराह्न 5 बजे शेष होगा।

ix. उपयुक्त विकल्प का चयन कर अपना वोट दें तथा "सबमिट" पर क्लिक करें और प्राम्पट होने पर "कन्फर्म" ('Confirm') भी करें।

x. पुष्टि (कन्फॉर्मेशन) हो जाने पर "मतदान सफलतापूर्वक हुआ" ("Vote cast successfully) प्रदर्शित होगा।

xi. कारोबार मद पर एक बार मतदान कर देने के बाद आपको अपना मत बदलने की अनुमति नहीं होगी।

NOTES :

- The Notice is being sent to all Shareholders, whose names appear on the Register of Shareholders /List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL)/Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on 16.02.2018 (Cut-off Date). A person who is not a Shareholder as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only.
- In terms of SEBI (LODR) Regulations, Shareholders, who have registered their email ids for receipt of the documents in electronic mode are being sent the Notice of Postal Ballot by email and others are being sent by post/courier along with the Postal Ballot Form.
- Shareholders desiring to exercise vote by physical Postal Ballot are requested to carefully read the instructions printed on the attached Postal Ballot Form. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 5 p.m. on 21.03.2018. Any Postal Ballot Form received after this time and date will be treated as if the reply from the Shareholder has not been received.
- Shareholders, who have received the Postal Ballot Notice by email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Balot Form from the Bank's website www.ucobank.com or by writing to Karvy Computershare Pvt. Ltd., RTA of the Bank, located at Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 (Tel.No.040-67162222, Toll Free No..1800-345-4001, Fax No. 040-23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com) or Company Secretary, UCO Bank, Finance Department, Head Office, 2, India Exchange Place, 3rd Floor, Kolkata - 700 001.
- Shareholders can opt only one mode of voting, i.e., either by physical ballot or remote e-voting. In case, Shareholders cast their votes through both the modes, voting done by remote e-voting shall prevail and votes cast through physical postal ballot form will be treated as invalid.
- The process and manner of remote e-voting shall be as follows :

(A) Instructions in respect of remote e-voting to Shareholders of the Bank whose demat account/folio in number has not been registered for e-voting services of Karvy and who do not have their existing user id and password.

i. Open e-mail and open PDF file viz; 'UCO Bank e-voting pdf' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.

ii. Launch internet browser by typing the URL: https://evoting.karvy.com

iii. Click on Shareholder "Login"

iv. Put your user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.

v. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vi. Home page of "e-voting" opens. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.

vii. Select Electronic Voting Event Number (EVEN) of UCO Bank.

viii. Now you are ready for "e-voting" as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences from 9 a.m. on 20.02.2018 and ends at 5 p.m. on 21.03.2018.

ix. Cast your vote by selecting appropriate option and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.

x. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

xi. Once you have voted on the item of business, you will not be allowed to modify your vote.

xii. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, हिंदू अविभक्त परिवार, अनिवासी भरतीय के अतिरिक्त) द्वारा संगत बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) तथा उसके साथ मतदान करने हेतु प्राधिकार प्राप्त प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के साक्ष्यांकित नमूना हस्ताक्षर संवीक्षक को ई-मेल से scrutinizer@snaco.net पर भेजने होंगे तथा उसकी प्रति evoting@karvy.com को देनी होगी।

(ख) रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में बैंक के वैसे सदस्यों के लिए अनुदेश जिनका डिमैट खाता/फोलियो नं. कार्वी की ई-वोटिंग सर्विसेज के लिए पंजीकृत किए जा चुके हैं।

i. यूआरएल : https://evoting.karvy.com टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर शुरु करें।

ii. शेयरहोल्डर “लॉगइन” पर क्लिक करें।
अपना यूजर आईडी और विद्यमान पासवर्ड प्रविष्ट करें (यदि अपना पासवर्ड भूल गए हों तो https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध “Forgot User Details/Password” विकल्प का प्रयोग करते हुए आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं)।

iii. “लॉगइन” क्लिक करें

iv. “ई-वोटिंग” का होम पेज दिखेगा। “ई-वोटिंग” पर क्लिक करें। वोटिंग साइकिल को सक्रिय करें।

v. कारोबार की मद के पक्ष में अपना वोट देने के लिए यूको बैंक के ई-वोटिंग ईवेन नं. (EVEN) का चयन करें। (कृपयायह नोट करें कि एक बार मतदान करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है)। संकल्प पर मतदान करने तक या वोटिंग अवधि की समाप्ति तक अर्थात 21.03.2018 (भारतीय मानक समय) के अपराह्न 5 बजे तक, इनमें से जो भी पहले हो, एक ईवेन (EVEN) के लिए आप कार्वी के ई-मतदान प्लॉटफॉर्म पर जितनी बार चाहें लॉगइन कर सकते हैं। मतदान की अवधि दिनांक 20.02.2018 को प्रातः 9 बजे से आरंभ होगा।

vi. “मतदान करे” (‘Cast Vote’) पृष्ठ खुलेगा। अब आप “ई-वोटिंग” कर सकते हैं।

vii. उपयुक्त विकल्प का चयन कर अपना वोट दें तथा “सबमिट” पर क्लिक करें और प्राम्पट होने पर “कन्फर्म” (‘Confirm’) भी करें।

viii. संकल्प पर एक बार मतदान कर देने के बाद आपको अपना मत बदलने की अनुमति नहीं होगी।

ix. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, हिंदू अविभक्त परिवार, अनिवासी भरतीय के अतिरिक्त) द्वारा संगत बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) तथा उसके साथ मतदान करने हेतु प्राधिकार प्राप्त प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के साक्ष्यांकित नमूना हस्ताक्षर संवीक्षक को ई-मेल से scrutinizer@snaco.net पर भेजने होंगे तथा उसकी प्रति evoting@karvy.com को देनी होगी।

कृपया नोट करें कि :

- पोस्टल बैलट फॉर्म द्वारा या ई-वोटिंग प्लॉटफॉर्म पर मतदान करनेवाले शेयरधारकों के मताधिकार दिनांक 16.02.2018 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की पेड अप ईक्विटी शेयर पूँजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।
- गलत पासवर्ड डाल कर पाँच बार असफल प्रयास करने के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉगइन नहीं किया जा सकेगा। ऐसी अवस्था में इसे रीसेट करने के लिए आपको वेबसाइट पर उपलब्ध “पासवर्ड भूल गए” (‘Forgot Password’) विकल्प पर जाना होगा।
- आपके लॉगइन आईडी तथा मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कंपनियों, जिसमें आप शेयरधारक हैं, के संकल्प (संकल्पों) पर ई-वोटिंग करने के लिए ही आप द्वारा किया जा सकेगा।
- इस बात की जोरदार सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को न बताएँ और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें।
- ई-वोटिंग की सुविधा दिनांक 21.03.2018 को अपराह्न 5 बजे के बाद समाप्त कर दी जाएगी।
- अनेक फोलियो / खाता रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो / डीमेट खाता के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया को अपना सकता है। तथापि, शेयरधारक कृपया यह नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार भारत सरकार के अतिरिक्त किसी भी शेयरधारक को बैंक के कुल शेयरधारण के 10 % से अधिक मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि आपको ई-वोटिंग के मामले में किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो या कोई मामला हो तो श्री एस.वी.राजू, उप महाप्रबंधक, कर्वी कम्प्यूटरसेयर, प्रा.लि., कर्वी सेलेनियम टावर, प्लाट नं. 31 – 32, गाचिबोउली, फाइनैंसियल जिला, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500 032 से संपर्क कर सकते हैं या einward.ris@karvy.com को ई-मेल भेज सकते हैं।

xii. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@karvy.com

(B) Instructions in respect of remote e-voting to Members of the Bank whose demat account/folio number has already been registered for e-voting services of Karvy.

i. Launch internet browser by typing URL: https://evoting.karvy.com

ii. Click on Shareholder - Login

Enter your User ID and existing password (If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on https://evoting.karvy.com).

iii. Click "Login"

iv. Home page of "e-voting" appears. Click on "e-Voting"- Active Voting Cycles.

v. Select E-Voting Even Number (EVEN) of UCO Bank for casting your vote in favour of/ against the item of Business. (Kindly note that vote once cast cannot be modified). For an EVEN, you can login any number of times on e-voting platform of Karvy till you have voted on the resolution or till the end date of voting period, i.e. upto 5 p.m. on 21.03.2018, whichever is earlier. Voting period commences from 9 a.m. on 20.02. 2018.

vi. Now you are ready for 'e-voting' as 'Cast Vote' page opens.

vii. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

viii. Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

ix. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@karvy.com

Please note that :

- The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the Cut-off date i.e. 16.02.2018 for Shareholders voting by Postal Ballot Form or on e-voting platform.
- Login to e-voting Website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.
- Your Login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolution (s) placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- The e-voting facility shall be blocked forthwith on 21.03.2018 at 5 p.m.
- Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- In case you have any queries or issues regarding remote e-Voting, you may contact Shri S.V. Raju, Deputy General Manager, Karvy Computershare Pvt. Ltd., Karvy Selenium Tower, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serillingampally, Hyderabad - 500 032 or write an email to einward.ris@karvy.com.

व्याख्यात्मक विवरण

सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के अनुसरण में व्याख़्यात्मक विवरण एवं प्रकटीकरण तैयार किया जाना अपेक्षित है जो निम्नप्रकार है :

क) अधिमान्य निर्गम का उद्देश्य

भारत सरकार ने अपने पक्ष में ईक्विटी शेयरों के अधिमान्य आबंटन के मद में हमारे बैंक में दिनांक 29.12.2017 को 1,375 करोड़ (रु एक हजार तीन सौ पचहत्तर करोड़) पूंजी प्रदान किया है।

बैंक इसे "शेयर एप्लिकेशन मनी अकाउंट" में रखा है और सभी सांविधिक / नियामक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भारत सरकार को शेयर आबंटित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 15 01.2018 के द्वारा बैंक को अनुमति प्रदान किया है कि उक्त राशि को बासेल III मानदंडों के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 के लिए सामान्य ईक्विटी टीयर I के एक भाग के रूप में व्यवहार करें।

आगे, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. एफ.नं. 7 / 38/2014 – बीओए दिनांक 24.01.2018 के द्वारा यह सूचित किया़ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक की पूंजी पर्याप्तता में सुधार लाने हेतु वह कुल 6,507 करोड़ रु की पूंजी लगाएगा जिसमें दिनांक 29.12.2017 को दिए गए 1,375 करोड़ का अंशदान भी शामिल है। बैंक को भारत सरकार से शेष पूँजी अंशदान स्वरूप 5,132 करोड़ मिलना बाकी है।

उक्त पत्र के संदर्भ में बैंक को एक उत्तरदायी और जिम्मेदार सरकारी क्षेत्र के बैंक की दृष्टि से ग्राहक जवाबदेही, जिम्मेदार बैंकिंग, क्रेडिट ऑफटेक, उद्यमि मित्र (एमएसएमई के उद्येश्य से) के रूप में सरकारी क्षेत्र का बैंक, वित्तीय समावेशन एवं डिजिटिलाईजेशन आदि को शामिल करते हुए कार्यक्षेत्र में वृद्धि करने एवं बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यसूची में सुधार लाएगा।

बैंक के निदेशक मंडल ने भारत सरकार से पहले ही प्राप्त 1,375 करोड़ एवं शेष राशि 5,132 करोड़ प्राप्त किए जाने के अधीन अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को 10 (रुपये दस मात्र) के अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन करने के लिए विशेष संकल्प पारित करने हेतु अनुशंसा किया है।

उक्त पूँजी उगाही को पूँजी पर्याप्तता में सुधार लाने एवं बैंक के सामान्य कारबार के निधियन के लिए उपयोग किया जाएगा।

ख) यह संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को किया जा रहा है जो बैंक का प्रवर्तक है।

ग) निर्गम मूल्य अबतक संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियमन, 76 के अनुसार होगा। निर्गम मूल्य की संगणना के प्रोयजनार्थ संबंधित तारीख 19.02.2018 है (यानी विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख से 30 दिन पूर्व)। चुँकि विशेष संकल्प पोस्टल बैलट के माध्य से पारित होगा। अत: पोस्टल बैलट के अंतर्गत मतदान पूरे होने की तारीख यानी 21.03.2018 को संकल्प पारित किए जाने की तारीख समझा जाएगा। तदनुसार, निर्गम मूल्य की संगणना संबंधित तारीख यानी 19.02.2018 को की जाएगी एवं इसे समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से एवं बैंक के वेबसाइट में प्रदर्शित करते हुए शेयरधारकों को सूचित किया जएगा।

घ) निर्गम के पहले एवं बाद में शेयरधारिता का स्वरूप

अधिमान्य निर्गम के पहले एवं बाद में बेंक के शेयरधारिता निम्न प्रकार है :

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम से पहले	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारिता का प्रतिशत
क.	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	150,29,27,852	80.50
ख.	गैर-प्रवर्तक की धारिता	36,39,58,424	19.50
ग.	कुल	1,86,68,86,276	100.00

EXPLANATORY STATEMENT

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of SEBI ICDR Regulations 2009 are as follows:

a) Objects of the Preferential Issue.

The Government of India made a capital contribution of 1,375 crore (Rupees One thousand three hundred seventy five crore only) on 29.12.2017 in our Bank towards preferential allotment of equity shares in its favour.

The Bank is maintaining the same in the "Share Application Money Account", and will allot the shares to GOI after receipt of all statutory / Regulatory approvals. RBI vide their letter dated 15.01.2018 permitted the Bank to treat the said amount it as part of the Common Equity Tier I as at 31st December, 2017 as per BASLE III requirements.

Further, Governments of India vide its letter No. F.No.7/38/2014-BOA dated 24.01.2018 has intimated their decision to infuse capital funds during the financial year 2017-18 into the Bank to the tune of 6,507 Crore to improve capital adequacy of the Bank which is inclusive of 1,375 Crore contributed on 29.12.2017. Bank is yet to receive remaining capital contribution of 5,132 crore from Government of India.

In terms of aforesaid letter the Bank shall be required to commit to reforms agenda for Responsive and Responsible PSBs aimed at Enhanced Access and Service Excellence (EASE) covering customer responsiveness, responsible banking, credit offtake, PSBs as Udyami Mitra (aimed at MSME), financial inclusion and digitization etc.

The Board of directors of the Bank has recommended for passing of special resolution for issue of equity shares to create, offer, issue and allot such number of equity shares of face value of 10/- each (Rupees Ten only) to Government of India on preferential basis against capital infusion of 1,375 Crore already received from the Government of India and for the remaining amount of 5,132 Crore to be received from Government of India.

The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

b) The entire issue will be subscribed by the Government of India - Promoter of the Bank.

c) The Issue Price shall be determined in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations, as amended up to date. The relevant date for the purpose of computation of Issue Price is 19.02.2018 (i.e., the date 30 days prior to the date of passing of special resolution.) Since the Special Resolution will be passed through postal ballot, the date of completion of voting under postal ballot i.e., 21.03.2018 will be the deemed date of passing of the Resolution. Accordingly, the Issue Price will be computed on the Relevant Date i.e., 19.02.2018 and the same will be notified to the shareholders through Newspaper advertisement and by displaying on the website of the Bank and also intimated to the BSE and NSE as well as in the e-voting portal of Karvy.

d) Shareholding Pattern before and after the Issue

Shareholding pattern of the Bank before the preferential issue is as shown below:

Sl. No.	Category	Before the Issue	
		No. of shares held	**Percentage of shareholding**
A.	**Promoter's Holding (Government of India)**	150,29,27,852	80.50
B.	**Non –Promoter Holding**	36,39,58,424	19.50
C.	**Total**	1,86,68,86,276	100.00

निर्गम के बाद बैंक की शेयरधारिता स्वरूप की सूचना शेयरधारकों को समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हुए एवं बैंक के वेबसाइट में अपलोड करते हुए दी जाएगी ताकि संगत तारीख 19.02.2018 को निर्गम मूल्य की संगणना के बाद इसका निर्धारण किया जा सके।

ङ) अधिमान्य आबंटन विशेष संकल्प पारित होने की तारीख से 15 दिन के अंदर यानी 21.03.2018 से 15 दिन के अंदर या ईक्विटी के अधिमान्य निर्गम के मामले में भारत सरकार और / या अन्य किसी सांविधिक / विनियामक प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर, यदि कोई हो, जो भी कम हो, किया जाएगा।

च) चुँकि यह संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को किया जाना है जो बैंक का प्रमुख शेयरधारक एवं प्रवर्तक है, निर्गम के बाद नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

छ) बैंक के ईक्विटी शेयर 6 माह से अधिक समय के लिए सूचीबद्ध हैं और इसीलिए सेवी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76 (3) एवं 78 (5) के प्रावधान लागू नहीं हैं। अत: सेबी आईसीडीआर विनियम, 2009 के विनियम 73 (1) (एफ) एवं (जी) के अंतर्गत प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

ज) भारत सरकार को निर्गमित एवं आबंटित सभी शेयर, वाणिज्यिक अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष के लिए आरक्षित होंगे।

झ) भारत सरकार द्वारा की गई समग्र पूर्व – अधिमानित अवधारिता, संगत तारीख से प्रारंभ करके, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा मंजूर वाणिज्यिक अनुमोदन की तारीख से छह माह तक की अवधि के लिए आरक्षित रहेगी।

ञ) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के खंड 73 (2) के अंतर्गत लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र 19.02.2018 के संगत तारीख के बाद जारी किया जाएगा और यह निरीक्षण हेतु बैंक के पंजीकृत कार्यालय में पोस्टल बैलट के अंतर्गत मतदान प्रक्रिया के पूरा होने की तारीख तक किसी भी कार्यदिवस को 11 बजे से 3 बजे तक उपलब्ध रहेगा। लोखापरीक्षक का प्रमाणपत्र बैंक के वेबसाइट www.ucobank.com एवं कर्वी के वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध होगा।

ट) भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अभौतिक रूप में हैं और जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, उनके साथ किए गए सूचीबद्धता समझौते के निर्धारण के अनुसार ईक्विटी शेयरों के निरंतर सूचिबद्धता की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है।

ठ) भारत सरकार ने संगत तारीख से पहले के छह माह के दौरान बैंक का कोई भी ईक्विटी शेयर नहीं बेचा है।

ड) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 एवं सेबी आईसीडीआर वनियमन, 2009 के विनियम 72 के अनुसरण में, अधिमानी आधार पर शेयर निर्गम एवं आबंटन के साथ ही बैंक के सभी शेयरधारकों को शेयर की पेशकश करने के विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

ढ) जहाँ भी अपेक्षित हो, बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के अनुरूप ईक्विटी शेयरों के मूल्य की पुनर्गणना का वचन देता है।

ण) बैंक वचन देता है कि यदि इस विनियमन में निर्धारित समयावधि के भीतर मूल्य की पुनर्गणना के कारण देय राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है तो निर्दिष्ट प्रतिभूतियां उस समय तक आरक्षित रहेंगी जबतक आबंटिती द्वारा ऐसी राशि का भुगतान न कर दिया जाए।

त) आपके निदेशकगण सूचना में यथाविनिर्दिष्ट विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुती करते हैं।

थ) बैंक के निदेशकों में से किसी का भी इस संकल्प से कोई सरोकार या हित नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से,
कृते यूको बैंक
हस्ता/-
(आर.के. टक्कर)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 12.02.2018

The post issue shareholding pattern of the Bank after will be notified to the shareholders through Newspaper advertisement and by displaying on the website of the Bank as the same can be determined after computation of issue price on Relevant date i.e. 19.02.2018.

e) The Preferential Allotment will be completed within 15 days from the date of passing of Special Resolution, i.e., within 15 days from 21.03.2018 or within 15 days of the receipt of approval, if any, from GOI and/or any other statutory/regulatory authority in respect of Preferential Issue of Equity, whichever is later.

f) As the entire issue is to be made to Government of India, the major shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in control subsequent to the issue.

g) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable. Hence disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI ICDR Regulations, 2009 are not applicable.

h) All the shares issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval.

i) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval as granted by the stock exchanges.

j) The Auditors' Certificate required under clause 73(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 will be issued after the Relevant Date of 19.02.2018 and will be made available for inspection at the Registered Office of the Bank between 11 a.m. and 3 p.m. on any working day upto the date of completion of voting under Postal Ballot. The Auditors' Certificate will also be displayed on the website of the Bank - www.ucobank.com and website of Karvy - https://evoting.karvy.com

k) All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

l) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

m) In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations 2009, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis vis-a-vis offering shares to all the shareholders of the Bank.

n) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.

o) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

p) Your Directors recommend passing of the Special Resolution as set out in the Notice.

q) None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

By Order of the Board of Directors,
For UCO Bank

sd/-

(R.K. Takkar)
Managing Director & Chief Executive Officer

Place : Kolkata
Date : 12.02.2018

Swapna : office@swapnaprinting.com

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालयः 10, बि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता-700 001

Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

फोन (033) 44557227, ई-मेल: hosgr.calcutta@ucobank.co.in, वेबसाइट: www.ucobank.com

Phone (033) 44557227, E-mail: hosgr.calcutta@ucobank.co.in, Website: www.ucobank.com

पोस्टल बैलट फॉर्म
POSTAL BALLOT FORM

क्रमांकः

1. एकल/प्रथम शेयरधारक का नाम एवं पता
Name & Address of Sole/First Shareholder

2. संयुक्त शेयरधारक(कों), यदि कोई हों, का/के नाम
Name(s) of Joint Shareholder(s), if any

3. पंजीकृत फोलियो सं./ डीपी आईडी-ग्राहक आईडी सं.
Registered Folio No./DP ID - Client ID No.

4. धारित शेयरों की संख्या / Number of Shares held

मैं/हम, एतदद्वारा बैंक के 12 फरवरी 2018 की पोस्टल बैलट सूचना में उल्लिखित कारोबार हेतु डाक मतपत्र के माध्यम से पारित किए जानेवाले विशेष संकल्प के संबंध में नीचे दिये गए उपयुक्त खाने में सही (✓) चिन्ह लगाकर उक्त संकल्प से मेरी/हमारी सहमति या असहमति व्यक्त करते हुए, अपने/हमारे मताधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ/रहे हैं :

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Special Resolution to be passed through Postal Ballot for the business stated in the Postal Ballot Notice dated 12th February, 2018 of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolution by placing the tick (✓) mark at the appropriate box below.

मद सं. Item No.	विवरण Description	शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held by Shareholder	मैं/हम इस संकल्प से सहमत हूँ/हैं (पक्ष में) I/We assent to the Resolution (For)	मैं/हम इस संकल्प से असहमत हूँ/हैं (विरोध में) I/We assent to the Resolution (For)
1.	(क) भारत सरकार को अधिमानी आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियमन 76 (1) के अनुसरण में नकदि हेतु प्रियम सहित निर्गम मूल्य के निर्धारण के अधीन ₹10/- (रुपये दस मात्र) के अंकित मूल्य पर कुल ₹ 1,375 करोड़ मात्र के इक्विटी शेयर एवं (ख) भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ₹10/- प्रत्येक (रुपये दस मात्र) के अंकित मूल्य पर कुल ₹ 5,132 करोड़, समग्र रूप से कुल ₹ 6,507 करोड़ (रुपया छह हजार पांच सौ सात करोड़) मात्र के ऐसे शेयरधारक के इक्विटी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव एवं आबंटन। To create, offer and allot (a) such number of equity shares of face value of ₹10/- each (Rupees Ten only) to Govt. of India on preferential basis aggregating to ₹ 1,375 crore; and (b) such Shareholder of equity shares of face value of ₹10/- each (Rupees Ten only] to Government of India on preferential basis aggregating to ₹ 5,132 crore together aggregating to ₹ 6507 crore only (Rupees Six thousand Five hundred and Seven crore only), inclusive of premium for cash at an issue price to be determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations 2009.			

स्थान/Place :

दिनांक/Date :

(शेयरधारक के हस्ताक्षर/Signature of Shareholder)

इलेक्ट्रॉनिक मतदान विवरण / ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

(इलेकट्रॉनिक माध्यम से मतदान हेतु कृपया संलग्न पोस्टल बैलट सूचना में दिए गए ई-वोटिंग अनुदेश देखें। ई-वोटिंग सुविधा http://evoting.karvy.com पर उपलब्ध है।)
(For voting through electronic means, please refer to the e-voting instructions provided in the postal ballot notice sent herewith. The E-voting facility is available at the link http://evoting.karvy.com)

ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट नंबर)/EVEN (E-voting Event Number)	प्रयोक्ता आईडी/USER ID	पासवर्ड / पिन/PASSWORD/PIN

निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध होगीः/The e-voting facility will be available during the following voting period :

ई-वोटिंग की शुरूआत/Commencement of e-voting	ई-वोटिंग की समाप्ति/End of e-voting
20 फरवरी, 2018 को प्रातः 9 बजे / February 20, 2018 at 9.00 a.m.	21 मार्च, 2018 को संध्या 5 बजे / March 21, 2018 at 5.00 p.m.

प्रत्यक्ष बैलट फार्म के माध्यम से मतदान हेतु अनुदेश / INSTRUCTIONS FOR VOTING BY PHYSICAL BALLOT FORM :

1. डाक मतपत्र के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक शेयरधारक इस पोस्टल बैलट फॉर्म को भरें और हस्ताक्षर करें तथा स्व-पता लिखे डाक व्यय पूर्वदत्त संलग्न लिफाफे में रखकर संवीक्षक को भेज दें, डाक खर्च बैंक उठाएगा और उसका भुगतान करेगा। यदि ऐसे मतपत्र वाले लिफाफे व्यक्तिगत रूप में जमा किए जाते हैं अथवा शेयरधारक के खर्च पर कूरियर से भेजे जाते हैं तो वे भी स्वीकार किए जाएंगे।

   A Shareholder desiring to exercise his/her vote by Postal Ballot should complete this Postal Ballot Form, sign and send it to the Scrutinizer in the attached self-addressed postage pre paid envelope. Postage will be borne and paid by the Bank. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expenses of the Shareholder, will also be accepted.

2. विकल्प के रूप में कोई शेयरधारक पोस्टल बैलट सूचना में ई-वोटिंग के लिए जारी निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

   Alternatively, a Shareholder may vote through electronic mode as per the instructions for e-voting provided in the Postal Ballot Notice.

3. पता लिखे लिफाफे पर बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त किए गए संवीक्षक का पता और पोस्टल बैलट भेजने का पता अंकित है।

   The self-addressed envelope bears the Scrutinizer address at which the Postal Ballot Form is to be sent.

4. पोस्टल बैलट फॉर्म शेयरधारक द्वारा पूर्ण रूप से भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए। संयुक्त शेयरधारिता के मामले में, यह फॉर्म प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा (बैंक के पास पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप) हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए और यदि वे अनुपस्थित हों तो अगले नामित शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

   The Postal Ballot form should be completed and signed by the Shareholder. In the case of joint share holding, this form should be completed and signed (as per the specimen signature registered with the Bank) by the first named Shareholder and in his/her absence, by the next named Shareholder.

5. जहां पोस्टल बैलट फॉर्म किसी निगमित निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित है वहाँ पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ मतदान करने के लिए संबंधित प्राधिकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए। "शेयरधारक" इस उद्देश्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त अटर्नी द्वारा भी फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकते है। ऐसे मामले में पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ मुख्तारनामे की अनुप्रमाणित सत्य प्रति संलग्न होनी चाहिए।

   Where the Postal Ballot Form has been signed by an Authorized Representative of a body corporate, a certified copy of the relevant authorizations to vote on the Postal Ballot should accompany the Postal Ballot form. A "Shareholder may sign" the Form through on Attorney appointed specifically for this purpose, in which case an attested true copy of the Power of Attorney should be attached to the Postal Ballot Form.

6. पोस्टल बैलट द्वारा मतदान के अधिकार का उपयोग प्रॉक्सि द्वारा नहीं किया जा सकेगा।

   The right of voting by Postal Ballot shall not be exercised by a Proxy.

7. **विधिवत भरे हुए पोस्टल बैलट फॉर्म 21 मार्च 2018 की शाम 5.00 बजे तक संवीक्षक के पास पहुँच जाने चाहिए।** इस समय और तारीख के बाद पोस्टल बैलट फॉर्म के बारे में यह माना जाएगा कि शेयरधरकों से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

   Duly completed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 5 p.m. on March 21, 2018. If any Postal Ballot Form received after this time and date, it will be considered that no reply from such Shareholder has been received.

8. यदि आवश्यक हो तो शेयरधारक ड्यूप्लिकेट पोस्टल बैलट फॉर्म के लिए अनुरोध कर सकते हैं। तथापि, पूर्ण रूप से भरा हुआ ड्यूप्लिकेट पोस्टल बैलट फॉर्म ऊपर मद सं. 7 में निर्दिष्ट समय और तारीख तक संवीक्षक के पास पहुँच जाना चाहिए।

   A Shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However, the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the time and date specified at item no.7 above.

9. मताधिकार कि गणना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अधीन शुक्रवार 16, फरवरी 2018 को शेयरधारक के नाम से पंजीकृत शेयरों के प्रदत मूल्य के आधार पर की जाएगी जो कि इस प्रयोजन हेतु अंतिम तारीख के रूप में तय की गई है।

   Voting rights will be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Shareholder on 16th February, 2018, which is the cut-off date fixed for this purpose, subject to the provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

10. शेयरधरकों से अनुरोध है कि स्व-पता लिखे डाक व्यय पूर्वदत्त संलग्न लिफाफे में डाक मतपत्र फॉर्म के साथ अन्य कोई कागजात न भेजें, क्योंकि इस तरह के सभी लिफाफे संवीक्षक के पास भेज दिये जाएंगे और ऐसे लिफाफे में रखा गया कोई अन्य कागजात संवीक्षक द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा और बैंक इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकेगा।

    Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope in as much as all such envelopes will be sent to the Scrutinizer and any extra paper found in such envelope would be destroyed by the Scrutinizer and the Bank would not be able to act on the same.

11. प्रत्येक फोलियो के लिए केवल एक ही पोस्टल बैलट फॉर्म होगा चाहे संयुक्त शेयरधरकों की संख्या कितनी भी हो।

    There will be only one Postal Ballot Form for every folio irrespective of the number of joint Shareholder(s).

12. शेयरधारक को सभी वोटों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसे सभी वोट एक ही तरीके से देने की आवश्यकता है।

    A Shareholder need not use all his/her votes nor does he/she need to cast his/hei votes in the same way.

13. पोस्टल बैलट की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

    The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot will be final and binding.

14. अपूर्ण, अहस्ताक्षरित या अशुद्ध डाक मतपत्र फॉर्म अस्वीकार कर दिये जाएंगे।

    Incomplete, unsigned or incorrect Postal Ballot Forms will be rejected.

15. यदि संकल्प बहुमत से अनुमोदित हुआ, तो इसे 21 मार्च 2018 को पारित हुआ समझा जाएगा, जो कि पूर्णतः भरे हुए पोस्टल बैलट प्राप्त करने या ई-वोटिंग कि अंतिम तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट कि गई है।

    The Resolution, if approved by requisite majority, shall be deemed to have been passed on March 21, 2018, i.e., the last date specified for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-voting.

16. पोस्टल बैलट के परिणाम कि घोषणा 22 मार्च 2018 को या उससे पहले एमडी एवं सीईओ द्वारा की जाएगी तथा इसे बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही इसे स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करने के अलावा रजिस्ट्रार एवं शेयर एजेंट कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

    The result of Postal Ballot shall be declared by the MD & CEO on or before March 22, 2018 and displayed on the Bank's website www.ucobank.com and website of Registrar and Share Transfer Agent http://evoting.karvy.com besides being communicated to the Stock Exchanges.